



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 29-2021/Ext.]

चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2021 (7 फाल्गुन, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या सांका०नि० 4/संवि०/अनु० 309/2021, दिनांक 26 फरवरी, 2021 —हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप क, ख तथा ग) सेवा नियम, 2021 का प्रकाशन बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	155-188
भाग IV	शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

भाग-III**हरियाणा सरकार**

खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 फरवरी, 2021

संख्या सांका०नि० 4/संवि०/अनु० 309/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप क, ख तथा ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

भाग-I- सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप क, ख तथा ग) सेवा नियम, 2021, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।
- (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- (3) ये नियम, इन नियमों के अधीन नियुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लागू होंगे।
2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) “संवर्ग” से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन सृजित उत्कृष्ट खिलाड़ी संवर्ग (ओएसपी संवर्ग);
 - (ख) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्राय है, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग;
 - (ग) “निदेशक” से अभिप्राय है, निदेशक, खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा;
 - (घ) “असाधारण प्रदर्शन” से अभिप्राय है, किसी उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रदर्शन, जिसने निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में भारत के लिए पदक जीता है,—
 - (i) अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित ओलंपिक खेल; या
 - (ii) एशियाई खेल परिषद द्वारा आयोजित एशियाई खेल; या
 - (iii) संबंधित अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप, जिसमें केवल ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाले आयोजन शामिल हैं।
 - (ङ) “प्ररूप” से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;
 - (च) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;
 - (छ) “संस्था” से अभिप्राय है,—
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या
 - (ii) इन नियमों में प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;
 - (ज) “राष्ट्रीय खेल संघ” से अभिप्राय है, युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त किसी संघ के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई पंजीकृत राष्ट्रीय स्तर खेल निकाय ;
 - (झ) “व्यक्ति” से अभिप्राय है, कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी, जिसने इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व या बाद में अनुसूची-I और अनुसूची-II में यथा वर्णित खेल प्रतियोगिता में पदक जीता है या भाग लिया है;
 - (ञ) “अनन्तिम नियुक्ति” से अभिप्राय है, इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय सीमित अवधि के भीतर उस पद के लिए विहित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त करने के अध्यक्षीन सीधी भर्ती द्वारा किसी पद पर नियुक्ति, जिसमें असफल रहने पर समाप्त समझी जाएगी ;
 - (ट) “मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या
 - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

- (ठ) “अनुसूची” से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;
 (ड) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप क, ख तथा ग) सेवा;
 (ढ) “खेल प्रतियोगिता” से अभिप्राय है, कोई प्रतियोगिता, जिसमें भागीदारी के लिए आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है ; तथा
 (ण) “राज्य” से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य।

भाग- II - सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट ‘क’ में दर्शाए गए पद शामिल होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए नियमित पद बनाने के लिए सरकार के अंतर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता तथा अधिवास।

4. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो:

- (क) भारत का नागरिक;
 (ख) हरियाणा का निवासी हो, जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र रखता हो;
 (ग) (i) उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य या केंद्रीय सरकार या किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का प्रतिनिधित्व किया हो,
 (ii) उसने अनुसूची-I और अनुसूची-II में यथा उल्लिखित किसी भी खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो :

परन्तु कोई भी व्यक्ति अनुसूची-I और अनुसूची-II में यथा वर्णित खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने या भाग लेने के दस वर्ष के भीतर ही इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को अठारह वर्ष से कम या बयालीस वर्ष से अधिक आयु का हो:

परन्तु, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक से संबंधित व्यक्तियों के मामले में सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा नियत ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुज्ञेय होगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति इन नियमों के परिशिष्ट-ग के खाना 3 में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

उत्कृष्ट खिलाड़ी संवर्ग।

7. इन नियमों के परिशिष्ट-ग के खाना 2 में सूचीबद्ध पद, उत्कृष्ट खिलाड़ी संवर्ग का गठन करेंगे और पद के नाम के बाद कोष्ठक में “ओएसपी” शब्द पदाभिहित किए जाएंगे।

योग्यताएं।

8. (1) पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने के अध्यक्षीन इन नियमों की अनुसूची-I के उपबन्धों के अनुसार एकल प्रतियोगिता और अनुसूची-II के उपबन्धों के अनुसार टीम प्रतियोगिता के मामले में किसी पद पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर विचार किया जाएगा :

परन्तु (क) 4 वर्षीय विश्वकप/ चैम्पियनशिप, (ख) विश्व कप/ चैम्पियनशिप (4 वर्ष से कम), (ग) 4 वर्षीय एशियाई चैम्पियनशिप, (घ) विश्व विश्वविद्यालय खेल, (ड) विशेष ओलंपिक, (च) बधिर ओलंपिक/4 वर्षीय बधिर विश्वकप/ चैम्पियनशिप/ 4 वर्षीय पैरा विश्वकप/चैम्पियनशिप के मामले में, सर्कल कबड्डी को छोड़कर केवल ओलंपिक खेलों में शामिल खेल प्रतिस्पर्धाओं पर विचार किया जाएगा।

(2) टीम प्रतियोगिता के मामले में, अनुसूची-II के अनुसार किसी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उसने उस प्रतियोगिता में टीम द्वारा खेले गए कम से कम पचास प्रतिशत मैचों में भाग लिया हो।

(3) व्यक्ति को नियमित भर्ती के आधार पर किसी पद पर नियुक्त किया जाएगा, जिसके लिए वह इन नियमों के अधीन पात्र है, यदि वह इन नियमों के परिशिष्ट-ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट योग्यता और अनुभव रखता है। अपेक्षित योग्यताएं तथा अनुभव नहीं रखने वाले व्यक्ति को अनन्तिम आधार पर नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु उसे दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के साथ आवश्यक न्यूनतम अवधि के भीतर अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर अनन्तिम नियुक्ति को समाप्त कर दिया जाएगा।

(4) उप-नियम (3) के अनुसार अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने पर, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा परिणाम की घोषणा की तिथि से अनन्तिम नियुक्ति को नियमित नियुक्ति में परिवर्तित किया जाएगा।

(5) असाधारण प्रदर्शन के मामले में, इस प्रयोजन के लिए कार्य प्रभारी मन्त्री की अनुपालना में सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति की सिफारिशों पर शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है। तथापि, मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी तथा संस्कृत के मामलों में कोई छूट अनुज्ञेय नहीं होगी।

9. कोई भी व्यक्ति,—

नियुक्ति हेतु
अपात्रता।

(i) (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या किसी अन्य से विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

इन नियमों के अधीन सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकते हैं; या

(ii) यदि उसने धन संबंधी लाभ जैसे वाणिज्यिक समर्थन या व्यावसायिक खेलों के लिए कोई अस्तित्वयुक्त संविदा की हो ;

(iii) यदि वह खेल सम्बन्धी कदाचार जैसे डोपिंग, लैंगिक उत्पीड़न तथा गाली देने, प्रतिस्पर्धा हेर-फेर जैसे खेल की शर्त लगाने, आंतरिक जानकारी देने, मैच फिक्सिंग करने, अखंडता तथा सार को टैंकिंग तथा खतरा पैदा करने वाली धमकी देने का दोषी है।

10. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—

भर्ती का ढंग।

(क) उपनिदेशक (ओ0एस0पी0) की दशा में, —

(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ii) 50 प्रतिशत वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) में से पदोन्नति द्वारा ;

(ख) वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) की दशा में, वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) में से पदोन्नति द्वारा ;

(ग) प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) की दशा में,—

(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ii) 50 प्रतिशत कनिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) में से पदोन्नति द्वारा ;

(घ) कनिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) की दशा में, सीधी भर्ती द्वारा।

(2) जब तक अन्यथा से उपबन्धित न हो, सभी पदोन्नतियां, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और केवल वरिष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

11. (1) कोई पात्र व्यक्ति, संबंधित खेल के राष्ट्रीय खेल महा संघ के अध्यक्ष या महा सचिव द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के सबूत, जन्म तिथि तथा अन्य अतिरिक्त सूचनाएं, जो सरकार द्वारा मांगी जाएं, सहित एकल प्रतिस्पर्धा की दशा में प्ररूप-I में तथा टीम प्रतिस्पर्धा की दशा में प्ररूप-II में सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करेगा।

नियुक्ति के लिए
प्रक्रिया।

(2) निदेशक किसी व्यक्ति से आवेदन प्राप्ति के तीस दिन के भीतर मूल दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन सरकार को अग्रेषित करेगा।

(3) सरकार अनुमोदन के लिए मामला सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी नियमित या अनन्तिम आधार, जैसी भी स्थिति हो, पर नियुक्ति पत्र जारी करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सरकार के पास आदेश जारी करते हुए, समय-समय पर, प्ररूप-I या प्ररूप-II को संशोधित करने का संपूर्ण अधिकार होगा।

परिवीक्षा।

12. (1) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार या अनन्तिम आधार, जैसी भी स्थिति हो, पर उसकी नियुक्ति या पदोन्नति द्वारा उसकी नियुक्ति की तिथि से आरंभ होगी।

(2) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी और पदोन्नति द्वारा नियुक्त के मामले में परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी :

परन्तु ,—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी समरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई किसी अवधि की गणना परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी;

(ख) सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पूर्व किसी समकक्ष या उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इन नियमों के अधीन नियत परिवीक्षा में गणना के लिए अनुज्ञात की जा सकती है।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य का आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो यह—

(क) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; या

(ख) ऐसे व्यक्ति को यदि वह सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया है, तो—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(4) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो और वह आवश्यक योग्यता और अनुभव रखता हो, तो उसकी नियमित आधार या अनन्तिम आधार, जैसी भी स्थिति हो, पर उसकी नियुक्ति की तिथि से ऐसे व्यक्ति को पुष्ट कर सकता है ;

(ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा हो, तो —

(i) यदि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; या

(ii) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(iii) उसकी परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

वरिष्ठता।

13. सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर निरंतर सेवा काल के अनुसार निर्धारित की जाएगी :

परन्तु सेवा में किसी पद पर निरंतर सेवा की अवधि, ऐसे पद पर अनन्तिम नियुक्ति या नियमित आधार पर नियुक्ति, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि से निर्धारित की जाएगी:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित योग्यता के क्रम को वरिष्ठता नियत करते हुए भंग नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों के मामले में, उनकी वरिष्ठता निम्नानुसार अवधरित की जाएगी,—

- (क) नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य के मामले में वरिष्ठता नियुक्ति, जहां से वे पदोन्नत हुए थे, में ऐसे सदस्यों की वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

14. (1) सेवा का सदस्य, चाहे नियमित आधार पर या अनन्तिम आधार पर नियुक्त किया गया हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा। सेवा का दायित्व।

(2) सेवा का सदस्य, सरकार द्वारा स्थापित खेल परिसर या खेल अकादमियों या खेल उत्कृष्टता केन्द्रों में किसी जिले में खेल तथा युवा मामले विभाग, हरियाणा में और गृह (पुलिस), विद्यालय शिक्षा या मौलिक शिक्षा विभाग या राज्य बिजली उपयोगिता या विकास तथा पंचायत विभाग, हरियाणा या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सेवा करने के लिए दायी होगा।

(3) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो;
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

15. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन बनाए गए हों, अथवा इसके बाद बनाए जाएं। वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

16. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे: अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट-ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

17. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगवाएगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, पुनः टीका लगवाएगा। टीका लगवाना।

18. सेवा में प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी। राजनिष्ठा की शपथ।

19. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।

20. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में, विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है। विशेष उपबन्ध।

21. (1) हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2018, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं : निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के समरूप उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी :

परन्तु कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी, जिसका आवेदन निरसित नियमों के अधीन लम्बित है, इन नियमों के अधीन नया आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

परिशिष्ट क
(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	उप निदेशक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप क)	50	एफ.पी.एल.-11, सेल-1= 67,700 /- रुपए
2	वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ख)	100	एफ.पी.एल.-7, सेल-1= 44,900 /- रुपए
3	प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ख)	150	एफ.पी.एल.-6, सेल-1= 35,400 /- रुपए
4	कनिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ग)	250	एफ.पी.एल.-6, सेल-1= 35,400 /- रुपए

परिशिष्ट—ख

(देखिए नियम 8)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	उप निदेशक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप क)	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से किसी संकाय में स्नातक या इसके समकक्ष; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत ;	पदोन्नति द्वारा— वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) के रूप में दस वर्ष का अनुभव;
2	वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ख)	-----	पदोन्नति द्वारा— प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) के रूप में दस वर्ष का अनुभव;
3	प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ख)	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से किसी संकाय में स्नातक या इसके समकक्ष; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत ;	पदोन्नति द्वारा— कनिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) के रूप में दस वर्ष का अनुभव;
4	कनिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ग)	(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से किसी संकाय में स्नातक या इसके समकक्ष ; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत ।	-----

परिशिष्ट-ग

[देखिए नियम 16(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	उप निदेशक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप क)	सरकार	I. छोटी शास्तियां- हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित। II. बड़ी शास्तियां- हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	सरकार	—
2	वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ख)	सरकार		सरकार	—
3	प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ख)	सरकार		सरकार	—
4	कनिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ग)	निदेशक		निदेशक	सरकार

परिशिष्ट-घ

[देखिए नियम 16(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	उप निदेशक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप क)	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	सरकार	—
2.	वरिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ख)		सरकार	—
3.	प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ख)	(ii) सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	सरकार	—
4.	कनिष्ठ प्रशिक्षक (ओ0एस0पी0) (ग्रुप ग)	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	निदेशक	सरकार

अनुसूची - I [देखिए नियम 8(1)] (एकल प्रतिस्पर्धा)						
क्रम संख्या	खेल प्रतियोगिता	आयोजन करने वाला प्राधिकरण	पदक विजेता			प्रतिभागी
			स्वर्ण	रजत	कांस्य	
1	2	3	4	5	6	7
1.	ओलम्पिक खेल	आई ओ सी	ग्रुप क	ग्रुप क	ग्रुप ख	ग्रुप ख
	पैरा ओलम्पिक	आई पी सी	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ख	—
2.	एशियन खेल	ओ सी ए	ग्रुप क	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ग
	एशियन पैरा खेल	ए पी सी	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—
3.	चार वर्षीय विश्व कप/ चैम्पियनशिप (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	आई ओ सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ग
4	विश्व कप/ चैम्पियनशिप (चार वर्ष से कम) (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	आई ओ सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—
5.	कामनवैल्थ खेल	सी जी एफ	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ग	—
	कामनवैल्थ खेल (पैरा खेल)	सी जी एफ	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—
6	विश्व विश्वविद्यालय खेल (ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	आई यू एस एफ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—
7.	4 वर्षीय एशियन चैम्पियनशिप (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	ओ सी ए से मान्यताप्राप्त एशियन खेल संघ या आई ओ सी द्वारा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—
8	स्पेशल ओलम्पिक (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	केवल आई ओ सी द्वारा मान्यताप्राप्त	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—
9.	डैफलम्पिक / 4 वर्षीय बधिर विश्व कप/चैम्पियनशिप/ 4 वर्षीय पैरा विश्व कप/ चैम्पियनशिप (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	आई सी एस डी/ आई पी सी	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—

10	साउथ एशियन गेमस	एस ए जी एफ	ग्रुप ग	—	—	—
11	नेशनल गेमस	आई ओ ए	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—

प्रयुक्त संकेताक्षर :

आई ओ सी – अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति

आई पी सी – अन्तर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति

ओ सी ए – ओलम्पिक परिषद् एशिया

ए पी सी – एशियन पैरालम्पिक समिति

सी जी एफ – कामनवैल्थ खेल संघ

आई यू एस एफ – अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल संघ

आई सी एस डी – बधिर अन्तर्राष्ट्रीय खेल समिति

एस ए जी एफ – साउथ एशियन खेल संघ

डब्ल्यू बी सी सी – विश्व नेत्रहीन क्रिकेट परिषद्

बी सी सी आई – भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड

आई ओ ए – भारतीय ओलम्पिक संघ

अनुसूची - II						
[देखिए नियम 8 (1)]						
टीम प्रतिस्पर्धा						
क्रम संख्या	खेल प्रतियोगिता	आयोजन करने वाला प्राधिकरण	पदक विजेता			प्रतिभागी
			स्वर्ण	रजत	कांस्य	
1	2	3	4	5	6	7
1.	ओलम्पिक	आई ओ सी	ग्रुप क	ग्रुप क	ग्रुप ख	ग्रुप ग
	पैरा ओलम्पिक	आई पी सी	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ख	—
2	एशियन खेल	ओ सी ए	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग
	एशियन पैरा खेल	ए पी सी	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—
3.	चार वर्षीय विश्व कप / चैम्पियनशिप (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	आई ओ सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	ग्रुप ख	ग्रुप ख	ग्रुप ग	ग्रुप ग
4	विश्व कप / चैम्पियनशिप (4 वर्ष से कम) (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	आई ओ सी द्वारा मान्यताप्राप्त सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघ	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—
5.	कामनवैल्थ खेल	सी जी एफ	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—
	कामनवैल्थ खेल (पैरा खेल)	सी जी एफ	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—	—
6	विश्व विश्वविद्यालय खेल (ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	आई यू एस एफ	—			—
7.	4 वर्षीय एशियन चैम्पियनशिप (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	ओ सी ए से सहबद्ध संबंधित एशियन खेल संघ या आई ओ सी द्वारा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—
8	स्पेशल ओलम्पिक (ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	केवल आई ओ सी द्वारा मान्यताप्राप्त	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—
9.	डैफलम्पिक / 4 वर्षीय बघिर / चैम्पियनशिप / 4 वर्षीय पैरा विश्व कप चैम्पियनशिप (केवल ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित खेल प्रतिस्पर्धा)	आई सी एस डी / आई पी सी	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—

10	साउथ एशियन गेमस	एस ए जी एफ	ग्रुप ग	—	—	—
11	4 वर्षीय नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप	डब्ल्यू बी सी सी		—		—
12	रणजी ट्रॉफी (क्रिकेट)	बी सी सी आई	ग्रुप ग	—	—	—
13	4 वर्षीय विश्व कप / 2 वर्षीय एशियन चैम्पियनशिप (सर्कल कबड्डी)	अन्तर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—	—
14	नेशनल गोम्स	आई ओ ए	ग्रुप ग	ग्रुप ग	ग्रुप ग	—

प्रयुक्त संकेताक्षर :

आई ओ सी – अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति
 आई पी सी – अन्तर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति
 ओ सी ए – ओलम्पिक परिषद् एशिया
 ए पी सी – एशियन पैरालम्पिक समिति
 सी जी एफ – कामनवैल्थ खेल संघ

आई यू एस एफ – अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल संघ
 आई सी एस डी – बधिर अन्तर्राष्ट्रीय खेल समिति
 एस ए जी एफ – साउथ एशियन गेमस संघ
 आई ओ ए – भारतीय ओलम्पिक संघ



प्ररूप -I

[देखिए नियम 11(1)]

(एकल प्रतिस्पर्धा)

आवेदन संख्या. _____

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

1. नाम : _____
2. जन्म तिथि (जन्म प्रमाण-पत्र या दसवीं का प्रमाण-पत्र संलग्न करें): _____
3. मेल पता : _____
4. परिवार पहचान-पत्र आई डी: _____
5. आधार नं० _____ मोबाईल फोन नं० _____
6. क्या आप हरियाणा के अधिवासी/निवासी हैं ? हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
7. यदि नहीं, तो किस राज्य के आप अधिवासी /निवासी हैं? _____
8. क्या आप हरियाणा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं ? हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
9. यदि नहीं, किस केन्द्रीय संघ /ईकाई का प्रतिनिधित्व किया है ? (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) _____
10. शैक्षणिक योग्यताएं (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) _____
11. निःशक्तता की किस्म तथा प्रतिशतता (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए प्रमाण-पत्र संलग्न करें): _____
12. खेल विषय का नाम: _____
13. सर्वोत्तम खेल उपलब्धि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :
 - (i) खेल प्रतियोगिता का नाम : _____
 - (ii) आयोजित करने वाला प्राधिकरण : _____
 - (iii) मास तथा वर्ष : _____
 - (iv) खेल प्रतियोगिता का स्थान : _____
 - (v) खेल प्रतियोगिता का स्तर : _____
 - (vi) जीता गया पदक (यदि कोई हो) : _____

स्वतः
सत्यापित
फोटो

खिलाड़ी द्वारा घोषणा

1. मैंने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 2021 पढ़ लिये हैं तथा घोषणा करता हूँ कि मैं इन नियमों के अधीन नियुक्ति के विचारण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हूँ।
2. मैंने मेरे आवेदन के समर्थन में सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की हैं।
3. मैंने राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा से अन्यथा किसी राज्य /संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया है।
4. मैं कदाचार जैसे कि डोपिंग, लैंगिक उत्पीड़न तथा गाली देना, प्रतिस्पर्धा हेर-फेर जैसे कि शर्त लगाना, आन्तरिक जानकारी, मैच फिक्सिंग, खेल की अखण्डता तथा सार को खतरा पैदा करने वाली धमकी देने का दोषी नहीं हूँ।
5. यदि नियुक्ति दी जाती है, तो मैं वचन देता हूँ कि सेवा ग्रहण करने से पूर्व, मैं धन सम्बन्धी लाभ जैसे कि वाणिज्यिक समर्थन या व्यावसायिक खेल संबंधी अस्तित्वयुक्त संविदा नहीं करूंगा।
6. मैं हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 2018, जिसे निरस्त कर दिया गया है, के तहत किए गए अपने पहले के दावे को खारिज करता हूँ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए ब्यौरे सत्य तथा सही हैं। यहां कुछ भी तात्त्विक छिपाया नहीं गया है। दी गई गलत सूचना या तात्त्विक छिपाने की दशा में मेरी सेवाएं नोटिस के बिना समाप्त कर दी जाएं।

दिनांक:

(खिलाड़ी के हस्ताक्षर)

राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि खिलाड़ी द्वारा घोषित ब्यौरों की जांच की गई है, जो प्रामाणिक तथा सही पाए गए हैं।

दिनांक :

सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघ के
सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा मोहर

..... केवल कार्यालय प्रयोग के लिए.....

निदेशक, खेल तथा युवा कार्यक्रम, हरियाणा की सिफारिश

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वतः अधि प्रमाणित प्रतियां मूल से जांच ली गई है तथा सही पाई गई हैं।

नाम, आधार संख्या आवेदन पत्र क्रमांक
को..... की नौकरी के लिए सिफारिश की जाती है।

जांचे गये दस्तावेजों की सूची :

1. अधिवास/ निवास प्रमाण-पत्र
2. जन्म प्रमाण-पत्र या दसवीं का प्रमाण-पत्र
3. खेल उपलब्धि प्रमाण-पत्र
4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र
5. निःशक्तता प्रमाण-पत्र (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए)

दिनांक:

निदेशक,
खेल तथा युवा कार्यक्रम, हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित :-

दिनांक:

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग



प्ररूप -II

[देखिए नियम 11(1)]

(टीम प्रतिस्पर्धा)

आवेदन संख्या _____

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

1. नाम : _____
2. जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं का प्रमाण-पत्र संलग्न करें) : _____
3. मेल पता : _____
4. परिवार पहचान-पत्र आई०डी० : _____
5. आधार नं० _____ मोबाईल फोन नं. _____
6. क्या आप हरियाणा के अधिवासी/निवासी हैं ? हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
7. यदि नहीं, तो किस राज्य के आप अधिवासी/निवासी हैं? _____
8. क्या आप हरियाणा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं ? हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
9. यदि नहीं, किस केन्द्रीय संघ/ईकाई का प्रतिनिधित्व किया है ? (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) _____
10. शैक्षणिक योग्यताएं (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) _____
11. निःशक्तता की किस्म तथा प्रतिशतता (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए प्रमाण-पत्र संलग्न करें): _____
12. खेल विषय का नाम : _____
13. सर्वोत्तम खेल उपलब्धि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :
 - (i) खेल प्रतियोगिता का नाम : _____
 - (ii) आयोजित करने वाला प्राधिकरण : _____
 - (iii) मास तथा वर्ष : _____
 - (iv) खेल प्रतियोगिता का स्थान : _____
 - (v) खेल प्रतियोगिता का स्तर : _____
 - (vi) जीता गया पदक (यदि कोई हो) : _____
 - (vii) खेल प्रतियोगिता में टीम द्वारा खेले गए खेलों की कुल संख्या : _____
 - (viii) खेल प्रतियोगिता में मेरे द्वारा खेले गए खेलों की संख्या : _____

स्वतः
सत्यापित
फोटो

खिलाड़ी द्वारा घोषणा

1. मैंने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2021 पढ़ लिए हैं तथा घोषणा करता हूँ कि मैं इन नियमों के अधीन नियुक्ति के विचारण के लिए पात्र हूँ।
2. मैंने मेरे आवेदन के समर्थन में सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की हैं।
3. मैं उपरोक्त क्रम संख्या 12 पर वर्णित खेल प्रतियोगिता में टीम द्वारा खेले गए खेलों में से पचास प्रतिशत या अधिक में खेला हूँ।
4. मैंने राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा से अन्यथा किसी राज्य संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया है।
5. मैं कदाचार जैसे कि डोपिंग, लैंगिक उत्पीड़न तथा गाली देना, प्रतिस्पर्धा हेर-फेर जैसे कि शर्त लगाना, आन्तरिक जानकारी, मैच फिक्सिंग, खेल की अखण्डता तथा सार को खतरा पैदा करने वाली धमकी देने का दोषी नहीं हूँ।

6. यदि नियुक्ति दी जाती है, तो मैं वचन देता हूँ कि सेवा ग्रहण करने से पूर्व, मैं धन सम्बन्धी लाभ जैसे कि वाणिज्यिक समर्थन या व्यावसायिक खेल संबंधी अस्तित्वयुक्त संविदा नहीं करूंगा।
7. मैं हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2018, जिसे निरस्त कर दिया गया है, के तहत किए गए अपने पहले के दावे को खारिज करता हूँ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए ब्यौरे सत्य तथा सही हैं। यहां कुछ भी तात्विक छिपाया नहीं गया है। दी गई गलत सूचना या तात्विक छिपाने की दशा में मेरी सेवाएं नोटिस के बिना समाप्त कर दी जाए।

दिनांक:

(खिलाड़ी के हस्ताक्षर)

राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि खिलाड़ी द्वारा घोषित ब्यौरों की जांच की गई है, जो प्रामाणिक तथा सही पाए गए हैं।

दिनांक :

सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघ के
सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा मोहर

..... केवल कार्यालय प्रयोग के लिए.....

निदेशक, खेल तथा युवा कार्यक्रम, हरियाणा की सिफारिश

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वतः अधि प्रमाणित प्रतियां मूल से जांच ली गई हैं तथा सही पाई गई हैं।

नाम, आधार संख्या आवेदन पत्र क्रमांक
को..... की नौकरी के लिए सिफारिश की जाती है।

जांचे गये दस्तावेजों की सूची:

1. अधिवास/निवास प्रमाण-पत्र
2. जन्म प्रमाण-पत्र या दसवीं का प्रमाण-पत्र
3. खेल उपलब्धि प्रमाण-पत्र
4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र
5. निःशक्तता प्रमाण-पत्र (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए)

दिनांक:

निदेशक,
खेल तथा युवा कार्यक्रम, हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित :-

दिनांक:

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग

योगेन्द्र चौधरी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT**DEPARTMENT OF SPORTS AND YOUTH AFFAIRS****Notification**

The 26th February, 2021

No. G.S.R. 4/Const./Art. 309/2021.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Outstanding Sportspersons (Group A, B and C) Service, namely:-

PART-1-GENERAL

- 1.** (1) These rules may be called the Haryana Outstanding Sportspersons (Group A, B and C) Service Rules, 2021. Short title, commencement and application.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These rules shall be applicable to the outstanding sportsperson appointed under these rules.
- 2.** In these rules, unless the context otherwise requires:- Definitions.
- (a) “cadre” means an Outstanding Sports Person Cadre (OSP Cadre) created under these rules;
- (b) “competent authority” means the Chief Secretary to Government, Haryana in General Administration Department.
- (c) “Director” means the Director, Sports and Youth Affairs, Haryana;
- (d) “extraordinary performance” means a performance of an outstanding sportsperson who has won a medal for India in,-
- (i) Olympic Games organized by the International Olympic Association; or
- (ii) Asian Games organized by the Asian Games Council; or
- (iii) World Cup or World Championships organized by the concerned international federation once every four years in events included in the Olympic Games only;
- (e) “Form” means the Form appended to these rules;
- (f) “Government” means Government of Haryana in the administrative department;
- (g) “institution” means;-
- (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
- (ii) any other institution recognized by Government for the purpose of these rules;
- (h) “National Sports Federation” means a registered national level sports body, known as a Federation or in any other name, duly recognized by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India;
- (i) “person” means an outstanding sportsperson who won medal or participated in sports tournament as mentioned in Schedule-I and Schedule-II whether before the commencement of these rules or thereafter;
- (j) “provisional appointment” means appointment to a post by direct recruitment subject to obtaining requisite educational qualifications prescribed for the same within requisite period admissible under these rules, failing which the appointment shall stand terminated;
- (k) “recognized university” means –
- (i) any university incorporated by law in India; or
- (ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules;
- (l) “Schedule” means a Schedule appended to these rules;
- (m) “Service” means Haryana Outstanding Sportspersons (Group A, B and C) Service;
- (n) “sports tournament” means a tournament where there is no age restriction in participation; and
- (o) “State” means the State of Haryana;

PART-II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix-A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new regular posts with different designations and scales of pay.

Nationality and domicile of candidates appointed to Service.

4. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he:

(a) is a citizen of India;

(b) is a resident of Haryana possessing a Resident Certificate issued by the concerned authority;

(c) (i) has represented the State of Haryana at the national level or has represented the Central Government or any Central Public Sector Undertaking, at National level tournament;

(ii) has represented India in any sports tournament as mentioned in Schedule-I and Schedule-II:

Provided that a person shall be eligible for appointment under these rules within ten years of winning a medal or participating in sports tournament as mentioned in Schedule-I and Schedule-II.

Age.

5. No person shall be appointed to any post under these rules, who is less than 18 years or more than 42 years of age on the last date of submission of application complete in all respects:

Provided that in the case of person belonging to Scheduled Caste, Backward Classes, person with disabilities, ex-serviceman, relaxation in upper age limit shall be admissible as may be fixed by the Government, from time to time.

Appointing authority.

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the appointing authority specified in column 3 of Appendix-C of these rules.

Outstanding sportsperson cadre.

7. Posts listed in column 2 of Appendix-C of these rules shall constitute the Outstanding Sportsperson Cadre and shall be designated with the words "OSP" in parenthesis after the name of the post.

Eligibility.

8. (1) The name of a person shall be considered for appointment to a post, in case of an individual event as per provision in Schedule-I and in case of a team event as per provision in Schedule-II of these rules, subject to fulfillment of other conditions of eligibility :

Provided that in the case of (a) 4 Years World Cup/ Championship, (b) World Cup/ Championship (Less than 4 Years), (c) 4 Years Asian Championship, (d) World University Games, (e) Special Olympics, (f) Deaflympics/ 4 Years deaf World Cup/ Championship/ 4 Years Para World Cup/ Championships, sports events only included in the Olympic Games shall be considered, except Circle Kabaddi.

(2) In case of a team event, a person shall be considered for appointment to a post as per Schedule-II, provided that he has participated in not less than fifty percent of the matches played by the team in that tournament.

(3) A person shall be appointed on regular basis by direct recruitment to a post for which he is eligible under these rules, provided he is in possession of requisite qualifications and experience specified in column 3 of Appendix-B to these rules. A person who does not possess the requisite qualifications and experience shall be appointed on provisional basis:

Provided he has obtain the requisite educational qualification within the minimum period required for the same alongwith an additional period of two years, failing which the provisional appointment shall be stand terminated.

(4) On obtaining the requisite educational qualification as per sub-rule (3), the provisional appointment shall be converted to "appointment on regular basis" with effect from the date of declaration of result by the recognized university or institution.

(5) In case of extraordinary performance by a person, relaxation in the educational qualification may be granted by the competent authority on the recommendations of the committee to be constituted by Government under the Chairmanship of Minister-in-charge for this purpose; however, no relaxation shall be admissible in case of Hindi or Sanskrit or as one of the subjects in matric or higher education.

- 9.** No person-
- (i) (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to any post in the Service:
- Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person as well as to the other party to the marriage and there are other grounds for doing, so exempt any person from the operation of this rule.
- (ii) he has any subsisting contract for pecuniary gains like commercial endorsement or professional sports; and
- (iii) he is guilty of sports related misconduct like doping, sexual harassment and abuse, competitive manipulation like betting, inside information, match fixing, tanking and threatening the integrity and essence of sports.
- 10.** (1) Recruitment to the Service shall be made,-
- (a) in the case of Deputy Director (OSP),-
- (i) 50% by direct recruitment; and
 (ii) 50% by promotion amongst Senior Coach (OSP);
- (b) in the case of Senior Coach (OSP), by promotion from amongst the Coach (OSP),
- (c) in the case of Coach (OSP),-
- (i) 50% by direct recruitment; and
 (ii) 50% by promotion amongst Junior Coach (OSP);
- (d) in the case of Junior Coach (OSP) by direct recruitment.
- (2) All promotions shall, unless otherwise provided, be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotion.
- 11.** (1) An eligible person shall submit an application complete in all respects in Form-I in case of individual event and in Form-II in case of team event along with proof of outstanding sports achievement duly signed by the President or Secretary General of the National Sports Federation of the concerned game, date of birth and such other additional information as may be sought by the State Government.
- (2) The Director shall forward the applications to the Government for appointment to a post admissible under these rules after verification of original documents within 30 days of receipt of application from a person.
- (3) The Government shall forward the case to the competent authority for approval. On the receipt of approval from the competent authority, the appointing authority shall issue the letter of appointment on regular or provisional basis, as the case may be.
- (4) The Government reserves the absolute right to revise, from time to time, Form-I or Form-II by an order issued with the approval of competent authority.
- 12.** (1) The probation period of a person shall commence from the date of his appointment on regular basis or provisional basis, as the case may be, by direct recruitment or from the date of his appointment by promotion.
- (2) A person appointed by direct recruitment shall be on probation for a period of two years and in case of appointment by promotion will be on probation for a period of one year.
- Provided that,—
- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule.

Non-eligibility for appointment.

Mode of recruitment.

Procedure for appointment.

Probation.

- (3) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-
- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (4) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,-
- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory and he possess the requisite qualification and experience, confirm such person from the date of his appointment on regular basis or provisional basis as the case may be;
 - (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory.—
 - (i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment; or
 - (ii) revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and condition of his previous appointment permit, if appointed otherwise; or
 - (iii) extend his period of probation for a period of one year and thereafter pass order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:
 Provided that the total period of probation, including extension, if any shall not exceed three years.

Seniority.

13. Seniority, inter se of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that the length of continuous service on any post in the Service shall be determined from the date of provisional appointment or appointment on regular basis, as the case may be, to such a post:

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the competent authority shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more member appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

- (a) a member appointed by direct recruitment on regular basis shall be senior to a member appointed by promotion;
- (b) in case of a member appointed by promotion, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointment from which they were promoted.

Liability to serve.

14. (1) A member of the Service, whether appointed on regular basis or on provisional basis, shall serve at any place, whether within or outside the State, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the service shall be liable to serve in the Department of Sports and Youth Affairs of the State Government in any district in Sports Complexes or Sports Academies or Centres of Excellence in Sports established by the State Government and also in the Home (Police), School Education or Elementary Education Departments, State Electricity Utilities or Development and Panchayats Department or Public Sector Undertakings of the State Government.

- (3) A member of Service may be deputed to serve under,-
- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or University within the State of Haryana;
 - (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
 - (iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

- 15.** In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature. Pay, leave, pension and other matters.
- 16.** (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 as amended from time to time: Discipline, penalties and appeals.
- Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix-C to these rules.
- (2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and appellate authority shall be as specified in Appendix-D to these rules.
- 17.** Every member of the Service shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order. Vaccination.
- 18.** Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established. Oath of allegiance.
- 19.** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. Power of relaxation.
- 20.** Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority shall be competent to impose additional or special terms and conditions in the order of appointment, whether on regular basis or on provisional basis, if it is deemed expedient to do so. Special provisions.
- 21.** (1) The Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2018 are hereby repealed. Repeal and savings.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said rules so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules:
- Provided that a sportsperson whose application is pending under the repealed rules shall be eligible to apply afresh under these rules.

APPENDIX-A*(See rule 3)*

Serial Number	Designation of Posts	Number of posts	Scale of pay
1	2	3	4
1.	Deputy Director (OSP) (Group-A)	50	FPL-11 Cell-1 = Rs. 67,700
2.	Senior Coach (OSP) (Group-B)	100	FPL-7 Cell -1 = Rs. 44,900
3.	Coach (OSP) (Group-B)	150	FPL- 6 Cell -1 = Rs. 35,400
4.	Junior Coach (OSP) (Group-C)	250	FPL- 6 Cell -1 = Rs. 35,400

APPENDIX-B*(See rule 8)*

Serial Number	Designation of posts	Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Deputy Director (OSP) (Group-A)	(i) Graduation in any stream from a recognized University/ Institution or equivalent; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher education.	By promotion- 10 years experience as Senior Coach (OSP);
2.	Senior Coach (OSP) (Group-B)	----	By promotion- 10 years experience as Coach (OSP);
3.	Coach (OSP) (Group-B)	(i) Graduation in any stream from a recognized University/ Institution or equivalent; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher education.	By promotion- 10 years experience as Junior Coach (OSP);
4.	Junior Coach (OSP) (Group-C)	(i) Graduation in any discipline from a recognized University/ Institution or equivalent; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher education.	-----

APPENDIX-C

[See rule 16(1)]

Serial Number	Designation of Posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1.	Deputy Director (OSP) (Group-A)	Government	I. MINOR PENALTIES- As prescribed in Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 2016 II. MAJOR PENALTIES- As prescribed in Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 2016	Government	---
2.	Senior Coach (OSP) (Group-B)	Government		Government	---
3.	Coach (OSP) (Group-B)	Government		Government	---
4.	Junior Coach (OSP) (Group-C)	Director		I. MINOR PENALTIES- As prescribed in Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 2016 II. MAJOR PENALTIES- As prescribed in Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 2016	Director

APPENDIX-D*[See rule 16(2)]*

Serial Number	Designation of Posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1.	Deputy Director (OSP) (Group-A)	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary additional pension admissible under the rules governing pension;	Government	---
2.	Senior Coach (OSP) (Group-B)	(ii) Terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Government	---
3.	Coach (OSP) (Group-B)		Government	---
4.	Junior Coach (OSP) (Group-C)	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary additional pension admissible under the rules governing pension;	Director	Government
		(ii) Terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		

SCHEDULE -I
[See Rule 8(1)]
(INDIVIDUAL EVENT)

Serial Number	Tournament	Organizing Authority	Medal Winner			
			Gold	Silver	Bronze	Participation
1	Olympic Games	IOC	Group A	Group A	Group B	Group B
	Paralympics	IPC	Group B	Group B	Group B	---
2	Asian Games	OCA	Group A	Group B	Group B	Group C
	Asian Para Games	APC	Group B	Group C	Group C	---
3	4-year World Cup/ Championship (Sports events included in the Olympic Games only)	International Federation of concerned game recognized by IOC	Group B	Group B	Group B	Group C
4	World Cup/ Championship (Less than 4 years) (Sports events included in the Olympic Games only)	International Federation of concerned game recognized by IOC	Group B	Group C	Group C	Nil
5	Commonwealth Games	CGF	Group B	Group B	Group C	Nil
	Commonwealth Para games	CGF	Group C	Group C	Group C	---
6	World University Games (Sports events included in Olympic Games)	IUSF	Group B	Group C	Group C	---
7	4-years Asian Championship (Sports events included in Olympic Games only)	Asian Federation of concerned game affiliated to OCA or International Federation recognized by IOC	Group B	Group C	Group C	Nil
8	Special Olympics (Sports events included in Olympic Games only)	Only those which are recognized by IOC	Group B	Group C	Group C	Nil
9	Deaflympics/ 4 years Deaf-World Cup/ Championship/ 4 years Para World Cup/ Championship (Sports events included in Olympic Games only)	ICSID/ IPC	Group B	Group C	Group C	Nil
10	South Asian Games	SAGF	Group C	---	---	Nil
11	National Games	IOA	Group C	Group C	Group C	Nil

Abbreviations Used:

IOC- International Olympic Committee
IPC- International Paralympics Committee
OCA- Olympic Council Of Asia
APC – Asian Paralympic Committee
CGF – Commonwealth Games Federation

IUSF- International University Sports Federation
ICSD- International Committee of Sports for the Deaf
SAGF- South Asian Games Federation
IOA- Indian Olympic Association

SCHEDULE -II
[See Rule 8(1)]
(TEAM EVENT)

Sr. No.	Tournament	Organizing Authority	Medal Winner			
			Gold	Silver	Bronze	Participation
1	Olympic Games	IOC	Group A	Group A	Group B	Group C
	Paralympics	IPC	Group B	Group B	Group B	—
2	Asian Games	OCA	Group B	Group B	Group C	Group C
	Asian Para Games	APC	Group C	Group C	Group C	—
3	4-year World Cup/ Championship (Sports events included in the Olympic Games only)	International Federation of concerned game recognized by IOC	Group B	Group B	Group C	Group C
4	World Championship (Less than 4 years) (Sports events included in the Olympic Games only)	International Federation of concerned game recognized by IOC	Group C	Group C	Group C	Nil
5	Commonwealth Games	CGF	Group C	Group C	Group C	Nil
	Commonwealth Para games	CGF	Group C	Group C	—	Nil
6	World University Games (Sports events included in Olympic Games)	IUSF	—	—	—	Nil
7	4-years Asian Championship (Sports events included in Olympic Games only)	Asian Federation of concerned game affiliated to OCA or International Federation recognized by IOC	Group C	Group C	Group C	Nil
8	Special Olympics (Sports events included in Olympic Games only)	Only those which are recognized by IOC	Group C	Group C	Group C	Nil
9	Deaflympics/ 4 years World Cup/ Championship/ Circle Kabaddi 4 years Asian Championship (Sports events included in Olympic Games only)	ICSD	Group C	Group C	Group C	Nil
10	South Asian Games	SAGF	Group C	—	—	Nil
11	4-year Blind Cricket World Cup	WBCC	—	—	—	Nil
12	Ranji Trophy (Cricket)	BCCI	Group C	Nil	Nil	Nil
13	4 years World Cup/ 2 years Asian Championship (Circle Kabaddi)	International Kabaddi Federation	Group C	Group C	Nil	Nil
14	National Games	IOA	Group C	Group C	Group C	Nil

Abbreviations Used:

IOC- International Olympic Committee
IPC- International Paralympics Committee
OCA- Olympic Council Of Asia
APC – Asian Paralympic Committee
CGF – Commonwealth Games Federation
IUSF- International University Sports Federation

ICSD- International Committee of Sports for the Deaf
SAGF-South Asian Games Federation
WBCC- World Blind Cricket Council
BCCI- Board of Control for Cricket in India
IOA- Indian Olympic Association



FORM – I
[See rule 9 (1)]
INDIVIDUAL EVENT

Application No. _____
(For office use only)

1. Name: _____
2. Date of Birth (enclose Birth Certificate or Matriculation Certificate): _____
3. Mailing Address: _____
4. Parivar Pehchan Patra ID _____
5. Aadhaar No.: _____ Mobile Phone No.: _____
6. Are you domicile/resident of Haryana? Yes/No (If Yes, attach certificate)
7. If No, which State are you a domicile/resident of? _____
8. Have you played at the National Level for Haryana? Yes/No (If Yes, attach certificate)
9. If No, which Central Organisation/Unit you represented? (enclose certificates): _____
10. Educational Qualifications (enclose certificates): _____
11. Type and Percentage of Disability (for Para, Blind, Deaf, Special Olympic Sports – enclose certificate, if any): _____

Self – attested Photo

12. Name of Sports Discipline: _____
13. Best Sports Achievement (enclose certificate):
 - i. Name of Tournament: _____
 - ii. Organizing Authority: _____
 - iii. Month & Year: _____
 - iv. Venue of Tournament: _____
 - v. Level of Tournament: _____
 - vi. Medal won (if any): _____

Declaration by Sportsperson

1. I have read the Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2021 and declare that I am eligible for submission of my application for consideration of appointment under these Rules.
2. I have enclosed self-attested copies of all documents in support of my application.
3. I did not represent a State/UT other than Haryana at the national level.
4. I am not guilty of doping, sexual harassment and abuse, competitive manipulation like betting, inside information, match fixing, tanking, threatening the integrity and essence of sports.
5. If appointment is offered, I undertake that I shall have no subsisting contract for pecuniary gains like commercial endorsement or professional sport before joining the service.
6. I forego my earlier claim made under the Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2018, which have been repealed.

It is certified that the above particulars given by me are true and correct to the best of my knowledge and record and there is no material concealment. In case of any wrong information furnished or material concealment, my service may be terminated without notice.

Date: _____

(Signature of Sportsperson)

VERIFICATION BY NATIONAL SPORTS FEDERATION

Certified that the particulars declared by the sportsperson have been checked, verified and found correct.

Date: _____

**Signature and Seal of the
Secretary/President of National Sports
Federation concerned**

..... **For official use only**

RECOMMENDATION OF DIRECTOR, SPORTS & YOUTH AFFAIRS, HARYANA

Certified that self-attested copies of documents submitted by the applicant have been checked with the original and found correct.

Name _____, Aadhaar No. _____ bearing
Application No. _____ is recommended for appointment on regular basis or provisional basis to a
post of _____.

List of Documents checked:

1. Domicile/Residence Certificate
2. Birth Certificate or Matriculation Certificate
3. Sports Achievement Certificate
4. Education Qualification Certificate
5. Certificate of Disability (for Para, Blind, Deaf, Special Olympic-Sports)

Date: _____

**Director,
Department of Sports & Youth Affairs, Haryana**

Countersigned by:-

Date: _____

**Principal Secretary to Government, Haryana,
Department of Sports & Youth Affairs**

**FORM – II**

[See rule 9 (1)]

TEAM EVENT

Application No. _____

(For office use only)

1. Name: _____
2. Date of Birth (enclose Birth Certificate or Matriculation Certificate): _____
3. Mailing Address: _____
4. Parivar Pehchan Patra ID _____
5. Aadhaar No.: _____ Mobile Phone No.: _____
6. Are you domicile/resident of Haryana? Yes/No (If Yes, attach certificate)
7. If No, which State are you a domicile/resident of? _____
8. Have you played at the National Level for Haryana? Yes/No (If Yes, attach certificate)
9. If No, which Central Organisation/Unit you represented? (enclose certificates): _____
10. Educational Qualifications (enclose certificates): _____
11. Type and Percentage of Disability (for Para, Blind, Deaf, Special Olympic Sports – enclose certificate, if any):

12. Name of Sports Discipline: _____
13. Best Sports Achievement (enclose certificate):
 - i. Name of Tournament: _____
 - ii. Organizing Authority: _____
 - iii. Month & Year: _____
 - iv. Venue of Tournament: _____
 - v. Level of Tournament: _____
 - vi. Medal won (if any): _____
 - vii. Total number of matches played by team in the tournament: _____
 - viii. Number of matches played by me in the tournament: _____

Self – attested Photo**Declaration by Sportsperson**

1. I have read the Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Condition of Service) Rules, 2021 and declare that I am eligible for submission of my application for consideration of appointment under these Rules.
2. I have enclosed self-attested copies of all documents in support of my application.
3. I have played in 50% or more of the games played by team in the tournament at serial No. 12 above.
4. I did not represent a State/UT other than Haryana at the national level.
5. I am not guilty of doping, sexual harassment and abuse, competitive manipulation like betting, inside information, match fixing, tanking, threatening the integrity and essence of sports.
6. If appointment is offered, I undertake that I shall have no subsisting contract for pecuniary gains like commercial endorsement or professional sport before joining the service.
7. I forego my earlier claim made under the Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2018, which have been repealed.

It is certified that the above particulars given by me are true and correct to the best of my knowledge and record and there is no material concealment. In case of any wrong information furnished or material concealment, my service may be terminated without notice.

Date: _____

(Signature of Sportsperson)

VERIFICATION BY NATIONAL SPORTS FEDERATION

Certified that the particulars declared by the sportsperson have been checked, verified and found correct.

Date: _____

**Signature and Seal of the
Secretary/President of National Sports
Federation concerned**

..... **For official use only**

RECOMMENDATION OF DIRECTOR, SPORTS & YOUTH AFFAIRS, HARYANA

Certified that self-attested copies of documents submitted by the applicant have been checked with the original and found correct.

Name _____, Aadhaar No. _____ bearing Application No. _____ is recommended for appointment on regular basis or provisional basis to a post of _____.

List of Documents checked:

1. Domicile/Residence Certificate
2. Birth Certificate or Matriculation Certificate
3. Sports Achievement Certificate
4. Education Qualification Certificate
5. Certificate of Disability (for Para, Blind, Deaf, Special Olympic-Sports)

Date: _____

**Director,
Department of Sports & Youth Affairs, Haryana**

Countersigned by:-

Date: _____

**Principal Secretary to Government, Haryana,
Department of Sports & Youth Affairs**

YOGENDER CHAUDHARY,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Sports and Youth Affairs Department.